तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कजोड बनाम टुण्डा 232/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30.03.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में एक ओर पत्रावली संख्या 231/2020 विचाराधीन है जो हस्तगत पत्रावली के समान विषयवस्तु की होने के कारण पत्रावली संख्या 231/2020 को भी हस्तगत पत्रावली संख्या 232/2020 के साथ शामिल किया जाता है। संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा द्वितीय अपील संख्या 5728/2015 उनवानी कजोड वगैराह बनाम टुण्डा वगैराह में निर्णय दिनांक 20.05.2016 से अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 13.08.2015 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 28.02.2012 तथा आराजी खसरा नम्बरी 58 रकबा 10 बीघा के आवंटन आदेश दिनांक 03.01.1970 को निरस्त किये जाने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध टुण्डा दतक पुत्र श्री महादेव द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में डीबी सिविल स्पेशल रिट याचिका संख्या 354/2018 उनवान टुण्डा बनाम कजोड पेश की गई। उक्त याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को आदेश पारित किया गया है कि "In these circumstances and withot going into the facts, the impugned order and order of the board of revenue are hereby set aside. the matter is remitted to the revenue appellate authority which shall now enquire into the facts and after satisfying itself pass appropriate orders in accordance with law, after taking into consideration all circumstances including the marerial placed on the record. the determination shall de complated expeditiously in any case within six months from today."

दिनांक 24.07.2020 को प्रार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 11/2020 वर्तमान 232/2020 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी मय प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 13.08.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में पुनः अपील दर्ज कर आगामी कार्यवाही की जाये।

इसी प्रकार प्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण कजोड वगैराह द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 12/2020 वर्तमान 231/2020 प्रस्तुत कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 354/2018 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 की पालना किये जाने का निवेदन किया गया।

दोनो प्रार्थना पत्रो की विषयवस्तु समान होने के कारण हमफिता किया गया। अतः एक ही आदेश से प्रार्थना पत्रो का निस्तारण किया जाता हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो के माध्यम से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2015 की पालना में समुचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी को पुनः प्रेषित कर समुचित विधिक आदेश पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। क्षैत्राधिकार परिवर्तन हो जाने से प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुए है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कजोड बनाम टुण्डा** **232/2020**	नम्बर व तारी... अहक... हुक्म की ता... में जारी हुए
	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 13.08.2015 की अनुपालना में न्यायालय हाजा में अपील दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात समुचित आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है। अतः दोनो प्रार्थना पत्रों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 13.08.2015 की पालना में आगामी कार्यवाही किये जाने की हद तक स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्रो का निस्तारण किया जाता हैं। न्यायालय हाजा में अपील उनवानी कजोड वगैराह बनाम टुण्डा वगैराह दर्ज की जाये तथा उभय पक्षकारो को अदालती नोटिस जारी किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रार्थना पत्रान संख्या 11/20 वर्तमान 232/2020 तथा 12/2020 वर्तमान 231/2020 की पत्रावलियां अपील के निर्णय तक अपील पत्रावली के संलग्न रखी जाये तथा बाद निर्णय नियमानुसार दखित दफतर हो। (सेवा राम स्वामी) अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

Scanned by CamScanner

2020/00094

न्यायालय माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदन राजस्व अपील अधिकारी,

मुख्यालय जयपुर

11/20

Reader
24/7/20

अपील संख्या संख्याः– 29/2012

निर्णित दिनांकः– 13–8–2015

कजोड़ वगैरह बनाम टुण्डा वगैरह

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी0पी0सी0

मान्यवर,

प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट संख्या–1 टूण्डा की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है–

1. यह कि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 29/2012 बउनवानी कजोड़ वगैरह बनाम टूण्डा वगैरह में उभय पक्षकारान् की सुनवाई करके निर्णय दिनांक 13–8–2015 पारित फरमा कर उक्त अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई गई थी। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट्स की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा 96 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई जो अपील संख्या 5728/2015 बउनवानी कजोड़ वगैरह बनाम टुण्डा वगैरह दर्ज रजिस्टर करके बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 20–5–2016 पारित कर अपील स्वीकार कर न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर केम्प दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–8–2015 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2012 को निरस्त करते हुए आराजी खसरा नम्बर 58 रकबा 10 बीघा के आवंटन आदेश दिनांक 03–1–1970 को भी निरस्त कर दिया गया था।

2. यह कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–5–2016 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 7089/2016 के

Scanned by CamScanner